गंदे पानी से परेशान लोगों ने ओवरब्रिज पर किया चक्काजाम

नव भारत न्यूज

रतलाम। लंबे समय से सीवरेज की समस्या झेल रहे वार्ड क्रमांक 15 के सुभाष नगर क्षेत्र के रहवासियों का मंगलवार को सब्र टूट गया। क्षेत्र के युवा नेता रवि वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रहवासी सुभाष नगर ओवरब्रिज पर एकत्र हुए और चक्का जाम कर नगर निगम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

अचानक हुए जाम से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा और प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचना पड़ा। मौके पर पहुंचे कांग्रेस शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासी लगातार सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। यदि समय रहते समस्या का समाधान किया जाता तो लोगों को सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया

चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर यातायात बहाल कराने का प्रयास किया, वहीं अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कच्छावा, पूर्व पार्षद श्यामाबाई वर्मा (काकी), मुन्ना सरकार, जाकिर भाई, इमरान खान, रईस मैव, जावेद खान, शेरू भाई, पप्पू भाई, इलू भाई, अकरम भाई, भुरू भाई, शब्बीर मंसूरी, स्मार्ट, बिलाल मंसूरी, चीन भाई, उस्मान बाबा, इलियास, मुबारक भाई, युसूफ मंसूरी, बबलू भाई सहित सैकड़ों क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

गिरिबाला की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी

सीबीआई ने कोर्ट को बताया नहीं मिली पीएम रिपोर्ट

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 14 जुलाई. ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह फिलहाल 28 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

मंगलवार को कोर्ट में गिरिबाला सिंह और सीबीआई के अधिवक्ताओं की तरफ से दलीलें रखी गईं. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दोनों आरोपियों की पेशी की गई. सूत्रों के मुताबिक सुनवाई को दौरान कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से दोबारा मांगे जाने वाले

वायस सैंपल को देने से भी इंकार किया है, जबकि मामले में गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता की तरफ से सैंपल देने की बात और जांच में दोनों के सहयोग देने की बात कही गई. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ट्विशा के दूसरे पीएम की रिपोर्ट भी एम्स की तरफ से नहीं दी गई है. मामले में सूत्रों का कहना है कि एम्स दिल्ली की टीम ने 10 जुलाई को अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को सौंपी है.

हालांकि इन दावों की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इससे पूर्व 3 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह का वायस सैंपल लिया था लेकिन समर्थ ने इससे इंकार दिया था. कोर्ट ने दोनों की 14 दिन की रिमांड़ कोर्ट ने बढ़ा दी है. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला अदालत में दोनों जुड़े. मामले में सीबीआई के अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से रिमांड़ बढ़ाने की मांग की, जिसे स्वीकार किया गया. कोर्ट ने इससे पहले 30 जून को मामले की सुनवाई करते हुए गिरिबाला सिंह और समर्थ की 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी.

एक नजर में

पिकअप पलटने से महिला मजदूर की मौत

सीहोर. जिले के रेहटी थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी एक ओवरलोड पिकअप वाहन के पलट जाने से एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों में कई महिलाओं और बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है. भैसान गांव के पास धान रोपाई के लिए मजदूरों को लेकर जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. वाहन में क्षमता से अधिक, लगभग 50 मजदूर सवार थे. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. हादसे में भिलाई निवासी अनीता, पति पतिराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भेरुंदा अस्पताल तथा अन्य चिकित्सा केंद्रों में भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है.

डंपर चालक से वसूली करने वाले गिरफ्तार

खंडवा। सनावद-पुनासा रोड पर डंपर चालक को रोककर रंगदारी दिखाने, पैसे मांगने और मारपीट कर डंपर के कांच फोड़ने वाले तीन आरोपियों को धनगांव पुलिस ने घटना के कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 13 जुलाई को पिपरीखेड़ा निवासी सावन भिलाला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हाथिया बाबा के पास तीन युवकों ने मोटरसाइकिल लगाकर रास्ता रोका और जबरन पैसे मांगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और पत्थर मारकर डंपर के कांच तोड़ दिए।

मध्यप्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी

05 दिन से झमाझम बारिश गायब

सामान्य से 3% नीचे पहुंचा वर्षा का आंकड़ा

भोपाल, 14 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है. पिछले पांच दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश नहीं हुई है. बादलों की आवाजाही के बावजूद ज्यादातर जिलों में केवल बूंदाबांदी और हल्की फुहारें ही दर्ज की जा रही हैं.

इसका असर बारिश के आंकड़ों पर भी दिखाई देने लगा है और जुलाई में पहली बार प्रदेश की औसत वर्षा सामान्य से नीचे पहुंच गई है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर (करीब 9.5 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य वर्षा 250.1 मिलीमीटर (करीब 9.8 इंच) होनी चाहिए थी. यानी मध्य प्रदेश में अब वर्षा सामान्य से तीन प्रतिशत कम हो गई है. सबसे अधिक कमी पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में दर्ज की गई है, जहां औसतन 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है. वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में भी वर्षा सामान्य से करीब 10 प्रतिशत कम दर्ज की गई है. मंगलवार को सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में धूप और उमस बने

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून को सक्रिय रखने वाली प्रमुख मौसम प्रणालियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं, जिसके कारण तेज बारिश का दौर थम गया है. हालांकि उत्तर बंगाल की खाड़ी में नया ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बनने के संकेत मिल रहे हैं. यदि यह कम दबाव के क्षेत्र में बदलता है, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर व्यापक और तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

केन-बेतवा प्रभावितों के समर्थन में उतरे उमंग

विशेष संवाददाता

बिजावर (छतरपुर), 14 जुलाई. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंगलवार को छतरपुर जिले के बिजावर पहुंचे, जहां उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों, दलितों और आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर कांग्रेस की ओर से उनके आंदोलन को समर्थन दिया.

पिछले 11 दिनों से बराना नदी में जल सत्याग्रह कर रहे आंदोलनकारियों से मिलकर सिंघार ने उनके संघर्ष को केवल जमीन बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान, अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आंदोलन बताया. उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विकास के नाम पर विनाश का मॉडल अपनाया जा रहा है. स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान सिंघार ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की.

सिंघार ने कहा कि प्रभावित परिवारों को न तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है, न समुचित पुनर्वास और न ही आजीविका की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्षों से जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले किसान और आदिवासी आज अपने ही घरों से बेदखल किए जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई और महिलाओं के साथ कथित बल प्रयोग की भी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया.

साइबर ठगी के तीन मामलों में 5.81 लाख की धोखाधड़ी

ग्वालियर, 14 जुलाई. शहर में साइबर ठगी के तीन अलग-अलग मामलों में अज्ञात ठगों ने सेवानिवृत्त अधिकारी समेत तीन लोगों के बैंक खातों से कुल 5.81 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाल ली. पुलिस ने तीनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार महाराजपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर निवासी एवं उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त अनूप कुमार चैबे फेसबुक पर पेंशन कार्ड संबंधी विज्ञापन के झांसे में आ गए. लिंक पर जानकारी दर्ज करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी गई एपीके फाइल खोलने के लिए कहा गया. फाइल खुलते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और खाते से तीन किश्तों में एक लाख 73 हजार रुपये निकाल लिए गए.

एक अन्य मामले में माधौगंज थाना क्षेत्र निवासी बृजेश तलरेजा के बैंक खाते से दस यूपीआई लेनदेन के माध्यम से एक लाख 37 हजार 951 रुपये निकाल लिए गए. पीड़ित ने किसी को ओटीपी साझा नहीं किया था. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

झांसी रोड थाना क्षेत्र निवासी विकास अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि उनकी माता के बैंक खाते से तीन दिनों के दौरान सात लेनदेन में दो लाख 71 हजार रुपये निकाल लिए गए.

गलत कानूनी धारा लिखने से नहीं रुकेगा इंसाफ : हाईकोर्ट

जबलपुर, 14 जुलाई. हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने भरण-पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोर्ट का उद्देश्य तकनीकी आधार पर राहत ठुकराना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है.

लिहाजा, यदि किसी आवेदन में गलत कानूनी धारा का उल्लेख हो गया हो, तो महज इसी आधार पर जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता. यदि बालिग अविवाहित बेटी अपनी आय या संपत्ति से स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वह पिता से भरण-पोषण पाने की हकदार है. न्यायालय ने सतना निवासी गंगा सिंह की पुनरीक्षण याचिका निरस्त करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा बेटी रक्षा सिंह के पक्ष में दो हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने के आदेश को बरकरार रखा. फैमिली कोर्ट ने पत्नी के दावे को प्रथम दृष्टया वैध विवाह सिद्ध नहीं होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया था. पिता ने दलील दी थी कि बालिग बेटी को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता और उसने पिता के विरुद्ध शिकायतें भी दर्ज कराई हैं. हाईकोर्ट ने यह तर्क निरस्त करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण- पोषण अधिनियमए के तहत भी राहत प्रदान कर सकता है.

सर्वे, स्टडी का डाटा नहीं है गोपनीय दस्तावेज

प्रतिवादी को उपलब्ध कराने सरकार को दिये निर्देश

जबलपुर, 14 जुलाई. प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि प्रमोशन का क्वांटिफिएबल डाटा प्रतिवादियों को उपलब्ध कराये.

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि डाटा का अवलोकन कर प्रतिवादी 17 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज कर कराये. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की है. गौरतलब है कि भोपाल निवासी स्वाति तिवारी सहित अन्य की ओर

से प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि पूर्व में महाधिवक्ता ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया सरकार के द्वारा नये नियम के अनुसार पदोन्नति नही दी जायेगी. प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों की प्रमोशन सूची जारी की गयी है. युगलपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि महाधिवक्ता का मौखिक आश्वासन रिकॉर्ड में नही है. युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व में सरकार की तरफ से 28 अक्टूबर को सीलबंद लिफाफे में पदोन्नति नियम-2025 के रूल-5 के अनुसार की गई स्टडी व सर्वे का डाटा सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया था.

सरकार की ओर से अन्य दस्तावेज पेश करने समय लिया गया था. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को स्टडी व सर्वे का डाटा बुधवार तक उपलब्ध कराया जाये. जिसके आधार पर वह आपत्ति पेश कर सकें. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता सीएस वैधनाथन, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनोज शर्मा व आपत्तिकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अली उपस्थित हुए.

झूठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट : 31.50 लाख का लिया लोन

ईओडब्ल्यू ने पांच के खिलाफ दर्ज किया मामला

नवभारत न्यूज

रीवा, 14 जुलाई, रीवा में फर्जी दस्तावेज झूठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर 31.50 लाख रूपये का बैंक लोन हासिल करने के मामले में ईओडब्ल्यू रीवा ने पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है.

आईस्क्रीम फैक्ट्री लगाने के नाम पर पीएमएफएमई योजना अन्तर्गत सबसिडी प्राप्त करने के उद्देश्य से लोन लिया गया था. सप्लायरों के सांठगांठ से पूरे खेल को अंजाम दिया गया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में कल्पना गुप्ता प्रोपराइटर कल्पना उद्योग एवं उनके पति संदीप गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा व्यंकट रोड रीवा से लोन प्राप्त किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत सत्यापन पश्चात् कल्पना गुप्ता एवं उनके पति संदीप गुप्ता द्वारा पीएमएफएमई योजना (प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) के तहत शासन से मिलने वाली सबसिडी की राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से सप्लायरों से सांठ-गांठ कर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए झूठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर पंजाब नेशनल बैंक शाखा व्यंकट रोड रीवा से आइस्कीम उद्योग हेतु राशि रुपए 31,50,000/- का लोन प्राप्त किया गया एवं आइस्कीम फैक्ट्री स्थापित न की जाकर राशि का दुरुपयोग किया गया है.

पांच के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया

ईओडब्ल्यू एसपी डा. अरविंद सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आईस्क्रीम फैक्ट्री के लिये पीएमएफएमई योजना के तहत फर्जी दस्तावेज एवं झूठी रिपोर्ट के आधार पर 31.50 लाख का लोन हासिल किया गया. लेकिन कहीं भी फैक्ट्री नही लगाई गई. सप्लायरों सहित पांच लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. पूरे मामले की जांच चल रही है.

15.32 करोड़ से बदला सांची रेलवे स्टेशन

आधुनिक सुविधाओं से सजा विश्व धरोहर का प्रवेश द्वार

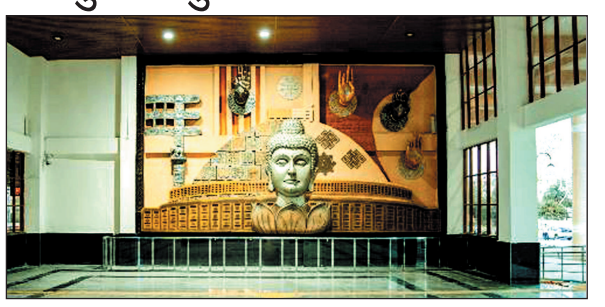

भोपाल, 14 जुलाई. विश्व धरोहर साँची स्तूप तक पहुंचने वाले प्रमुख रेल प्रवेश द्वार साँची रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 15.32 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक कायाकल्प किया गया है.

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का भव्य स्वागत करेगा. भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले एनएसजी-4 श्रेणी के इस स्टेशन का पुनर्विकास स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और आधुनिक वास्तुशिल्प को ध्यान में रखकर किया गया है. स्टेशन भवन को नया आकर्षक स्वरूप दिया गया है.

स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण किया गया है. पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के साथ आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है. दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप, टैक्टाइल पाथ और अन्य सुगम सुविधाएं विकसित की गई हैं, जबकि पूरे परिसर में ऊर्जा दक्ष एलईडी प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई

बिजली कर्मचारी से मारपीट के मामले में 5 पर एफआईआर दर्ज

गुना. जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में लाइन सुधार कार्य के दौरान बिजली कंपनी के एक आउटसोर्स कर्मचारी से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 13 जुलाई की शाम ग्राम पाठी में लाइन सुधार कार्य के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी नरेश कुमार लोधी के साथ रघुवीर नागर, शिवराज नागर, रमेश उर्फ मिंटू नागर, सोनू नागर तथा रामदयाल धाकड़ ने कथित रूप से गाली-गलौज कर मारपीट की. हमले में कर्मचारी के कंधे, हाथ और गर्दन पर चोटें आईं. फतेहगढ़ थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 296(बी) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली-110025

CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8 (1)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में शिवालिक मर्कैंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act 2002) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 103041545680 के लिए दिनांक 28-04-2026 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें निम्नलिखित को बुलाया गया था :

1. **श्री नयन माली आत्मज श्री रामनिवास माली (ऋणकर्ता) 192, वार्ड नंबर 1, ग्राम नई आबादी लदूना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389**
2. **श्रीमती कुसुम माली पत्नी श्री नयन माली (सह-ऋणकर्ता) मकान नंबर N/22/2, वार्ड नंबर 3, ग्राम नई आबादी लदूना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389**
3. **श्री हरीश माली आत्मज श्री रामनिवास माली (सह-ऋणकर्ता) वार्ड नंबर 1, ग्राम नई आबादी लदूना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389**
4. **श्री रामनिवास माली आत्मज श्री मांगीलाल माली (सह-ऋणकर्ता) 21, वार्ड/ पी/ हा. नंबर 24, ग्राम नई आबादी लदूना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389**
5. **श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री रामनिवास माली (सह-ऋणकर्ता/ बंधककर्ता) वार्ड नंबर 1, ग्राम नई आबादी लदूना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389**

उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर ऋणकर्ता(ओं) द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने वर्ष 2026 के जुलाई महीने के 14वें दिन **(14 जुलाई 2026)** को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है.

विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) और आम जनता को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के **रुपये 2,15,000/- (रुपये दो लाख पंद्रह हजार मात्र)** की राशि और उस पर लगने वाले ब्याज के भार (प्रभार) के अधीन होगा.

सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है.

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का न्यायसंगत बंधक : 900 वर्ग फीट, 83.64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति, जो वार्ड नंबर 1, ग्राम नई आबादी लदूना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है. उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में पंजीकृत सीरियल नंबर MP249412024A1094299, दिनांक 15-07-2024. श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री रामनिवास माली के नाम पर.

चौहद्दी (सीमाएं)

पूर्व : लदूना - सीतामऊ रोड	पश्चिम : स्थानीय रास्ता
उत्तर : जैन प्रकाश का मकान	दक्षिण : राधेश्याम का मकान

दिनांक : 14/07/2026
स्थान : नोएडा

हस्ताक्षर/- प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

दूरगामी निर्णय | अगली कैबिनेट जगदीशपुर में, सीएम ने यूसीसी को लेकर रोडमैप मंत्रियों से किया साझा

यूसीसी विधेयक को मिलेगी मंजूरी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 14 जुलाई. प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का रोडमैप अब लगभग तय है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान मंत्रियों से यूसीसी का रोडमैप मंत्रियों से साझा किया.

उन्होंने बताया कि कैबिनेट की अगली बैठक 18 जुलाई, शनिवार को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी. इसमें मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पर चर्चा होगी. यह विधेयक एक देश-एक विधान-एक प्रधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि 20 जुलाई से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो

रहा है. यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 14 विधेयक आना है. सभी मंत्रीगण अपने विभागों के विधेयक की समय से तैयारी पूर्ण करें. सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक भी पेश किया जाएगा.

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. युवा वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों तथा नवाचारों के संबंध में प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे है. उपयुक्त सुझावों को वर्ष 2027 की कार्य योजना में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्तमान किसान कल्याण वर्ष 2026 में नवाचार करने तथा किसान हितैषी गतिवधियां संचालित करने के संबंध में भी मंत्रीगण से सुझाव आमंत्रित किए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरीय आवास एवं विकास विभाग को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत सायबर सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि विभाग ने विकसित ई-नगर पालिका प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नगरीय प्रशासन कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाया है.

यह उपलब्धि प्रदेश में डिजिटल सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक केंद्रित सेवाओं के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 12 जुलाई को इन्दौर में 21 लाख पौध-रोपण और 51 हजार वर्षा जल संचयन इकाइयों की स्थापना का शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्दौर में 11 जुलाई को माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ.

कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन, धार सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के 200 से अधिक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्ल्यूएंसर्स शामिल हुये. प्रदेश के डिजिटल इंफ्ल्यूएंसर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है.

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कॉन्क्लेव में 20 नई औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी आधारित इकाइयों का लोकार्पण हुआ और 8 कंपनियों को भूमि आवंटन के आशय-पत्र प्रदान किए गये. जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर के विशेष सत्र में देश-विदेश की 10 प्रतिष्ठित संस्थाओं के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा हुई. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वापले लार्डस के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैच में 270 रन से पराजित करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है.

युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा, पुलिस ने शुरू की जांच

रतलाम। सरवन थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलीपाड़ा निवासी एक युवक की कीटनाशक दवा पीने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के नौ दिन बाद युवक ने सोमवार को अस्पताल में अंतिम सांस ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ग्राम पिपलीपाड़ा निवासी भंवरलाल पिता गौतम निनामा (26) ने 4 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1 बजे जहरीली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था।

हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे पहले स्थानीय स्तर पर उपचार दिलाया, बाद में गंभीर अवस्था में जीएमसी रतलाम में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 13 जुलाई 2026 को सुबह करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया.